



# Banda-Police



## Meticulous Investigation & Prosecution

### थाना नरैनी

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान **#Operation Conviction** के तहत थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 143/18 धारा 452/323/504/506/511 भा०द०वि० की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 22.02.2024 को मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त **कुलदीप सिंह पुत्र रंजीत सिंह नि० बिल्हरका थाना नरैनी जनद बांदा** को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
श्री मनोज दीक्षित



एडीजीसी  
श्री रामकुमार सिंह



कोर्ट मोहरीर  
आ० अनिल रैक्वार



विवेचक  
निरी० श्री दिनेश सिंह

पैरोकार  
मु०आ० शैलेन्द्र सिंह



@bandapolice



SPBanda